



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 2018/वैशाख 11, 1940

No. 282]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 2018/VAISAKHA 11, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 414(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को बनाने का प्रस्ताव करती है और एतद् द्वारा जिन्हें उक्त धारा की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियम, इन प्रारूप नियमों के सरकारी राजपत्र की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जायेगा।

आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हैं तो उन्हें महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (संस्कृति मंत्रालय), 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को अथवा ई मेल [directorgeneralasi@gmail.com](mailto:directorgeneralasi@gmail.com) द्वारा भेजे जा सकते हैं।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी इच्छुक व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों तथा कार्य संचालन) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के संबंध में अध्याय 2 के नियम 3 में -

- (1) खंड (क) में "प्रतिमाह अस्सी हजार रुपए प्रतिमास का वेतन" शब्दों के स्थान पर "वेतन और भत्ते" रखे जाएं;
- (2) खंड (ख) में "उच्च प्रशासनिक श्रेणी के अनुसार वेतनमान (रु. 67000/- + 3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि - 79000/-) शब्दों, आंकड़ों और चिन्हों के स्थान पर "वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ उच्च प्रशासनिक ग्रेड के शुरुआती स्तर के समान वेतन" शब्द रखे जाएं; और
- (3) खंड (ग) में "तीन हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएं।

[फा. सं. 1/8/2017-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

पाद टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 23 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 636(अ) के द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

**MINISTRY OF CULTURE  
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2018

**G.S.R. 414(E).**—The following draft rules, which the Central Government proposes in exercise of the powers conferred by Section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) to amend the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, and hereby published as required by sub-section (2) of the said section for the information of all persons likely to be effected thereby, and notice is hereby given that the said rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director General, Archaeological Survey of India (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or by email at [directorgeneralasi@gmail.com](mailto:directorgeneralasi@gmail.com).

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the said period so specified, shall be considered by the Central Government.

**Draft Rules**

1. (1) These rules may be called as the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In Rule 3 in Chapter II regarding salaries, allowances and conditions of services, in Rule 3.-
  - (1) in clause (a) for the words, "fixed salary of rupees eighty thousand per month" the words, "salary and allowances" shall be substituted;
  - (2) in clause (b) for the words, figures and signs "in the Higher Administrative Grade in the scale of pay (Rs.67000/- plus annual increment @3% - 79000/-)", the words "equivalent to entry level to Higher Administrative Grade with annual increment" shall be substituted; and
  - (3) in clause (c) for the words "Rupees three thousand" the words, "Rupees five thousand" shall be substituted.

[F. No. 1/8/2017-M]

USHA SHARMA, Director General

**Foot Note :** The Principal Rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 636(E) dated the 23rd August, 2011.